

भाग-4

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यूपी67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/117639/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-338/81-2-2024-800(283)/2023 दिनांक 28 फरवरी 2024 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Digitally Signed by आशीष

तिवारी

Date: 27-02-2024 14:21:24

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

I/505998/2024

संख्या-338/81-2-2024-800(283)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी 2024

विषय- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यूपी67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/117639/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1420/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/117639/2021 दिनांक 08.12.2023, पत्र संख्या-1758/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/117639/2021 दिनांक 16.01.2024 एवं पत्र संख्या-2054/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/117639/2021 दिनांक 14.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यूपी67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है, विषयगत प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

Digitally Signed by आशीष भवदीय,
तिवारी
Date: 27-02-2024 14:21:06
Reason: Approved (आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा।
4. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आशीष तिवारी)
सचिव।